



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-01.02.2025

विषय:- “आपरेेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर में हत्या के मामले से सम्बन्धित 04 अभियुक्त/अभियुक्ता को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा ।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-134/2011 धारा 143,302/34,120-B, 201 भा0द0वि0 से सम्बन्धित कुल 04 अभियुक्त/अभियुक्ता 1- राजेश कुमार पुत्र स्व0 लाल जी प्रसाद, 2- रजनीश पुत्र स्व0 लाल जी प्रसाद, 3- चम्पा देवी पत्नी स्व0 लाल जी प्रसाद निवासीगण- ग्राम डुहुवां थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी व 4- सतीश कुमार पुत्र स्व0 हरिराम निवासी- उमरहाँ पोस्ट उमरहाँ थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक थाना चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-31.01.2025 को माननीय न्यायालय ACC-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजेश कुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302,120-B भा0द0वि0 में आजीवन कारावास व 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से एवं धारा 143 भा0द0वि0 में 03 माह साधारण कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से, अभियुक्ता चम्पा देवी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302/34 भा0द0वि0 में आजीवन कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से एवं धारा 143 भा0द0वि0 में 03 माह के साधारण कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा अभियुक्तगण रजनीश व सतीश कुमार को अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 में आजीवन कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 201 भा0द0वि0 में 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से एवं धारा 143 भा0द0वि0 में 03 माह के साधारण कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।